राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

माघ 29, बुधवार, *शाके* 1947- फरवरी 18, 2026

Magha 29, Wednesday, Saka 1947- February 18, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जनवरी 20, 2026

संख्या:02/भू.अ./ज.स./2022/49-53:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बीसलपुर परियोजना की दांयी मुख्य नहर की टेल वितरिका की आर.डी. 0 से 10.00 किमी. के निर्माण में आयी ग्राम खरेड़ा, तह. टोडारायसिंह, जिला टोंक की भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है। यह विज्ञप्ति किया जाता है कि सूची में वर्णित इलाकों की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। अतः यह विज्ञप्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11-12 के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जारी की जाती है जिनका इससे संबध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे संबध है, को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिकों सहित उस क्षेत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करने हेतु अधिकृत करती है, जो उक्त धारा में दर्शाये गये है।

कोई हितकारी व्यक्ति जिसे निम्नाकिंत क्षेत्र की किसी भूमि के अवाप्त करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह उक्त विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन होने के 60 दिन के अन्दर आपत्ति लिखित में अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना देवली को प्रस्तुत कर सकता है।

विवरण

केन्द्रीय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम-2016 के तहत् भूमि अवाप्ति की धारा-11 एवं धारा-12 के प्रस्ताव।

बीसलपुर परियोजना के आर.एल. 315-50 मीटर की डूब लाईन से प्रभावित होने वाले भूमि के व्यक्तियों/कृषकों/भूमि धारकों की सूची।

ग्राम खरेडा तहसील टोंक जिला टोंक

क्र.सं.	खातेदार का नाम	किस्म जमीन	खसरा नं.	भूमि का कुल क्षेत्रफल है. में	अवाप्त हेतु रकबा है.	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	छोटूलाल पुत्र रामकरण जाति जाट	माल प्रथम	1457/ 3586	0.47	0.12	अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि-

	निवासी खरेडा तहसील टोडारायसिंह सा0 देह खातेदार					अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परि. देवली
		योग	1	0.47	0.12	

केन्द्रीय भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम-2016 के तहत् भूमि अवाप्ति की धारा-11 एवं धारा-12 के प्रस्ताव।

इकजाई गोश्वारा

बीसलपुर पेयजल एवं सिंचाई परियोजना जिला-टोंक में प्रस्तावित बीसलपुर परियोजना की बांयी मुख्य नहर की टेल वितरिका के निर्माण में आयी जमीन ग्राम खरेडा तहसील टोंक जिला टोंक के खसरा नं. 1457@3586 रकबा 0.47 है0 में से 0.12 है. भूमि अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित भूमि के निर्माण कार्य में आई भूमि का प्रस्तावित इकजाई गोश्वारा

क्र.सं.	गांव का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील	कुल खसरा नं.	कुल भूमि	अवाप्त की जाने वाली भूमि (हैक्टयेर)		
						निजी भूमि	सरकारी भूमि	कुल भूमि
1	खरेडा	खरेडा	टोंक	1457/ 3586	0-47	0-12	0-00	0-12
					कुल भूमि	**0-12**	**0-00**	**0-12**

महेश कुमार राठी,
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लैण्ड बैंक)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।